भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *298

09 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

क्रूड स्टील परियोजनाएं

***298. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की ऐसी कोई राष्ट्रीय इस्पात नीति है जिसमें वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन (एमटी) कच्चे इस्पात की क्षमता, 255 मिलियन टन उत्पादन और प्रति व्यक्ति 158 किलोग्राम तैयार इस्पात की ठोस खपत का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका अनुपालन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग): एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"क्रूड स्टील परियोजनाओं" के संबंध में श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 09.08.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *298 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): जी हां, भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को अधिसूचित किया है जिसमें प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत तथा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी एक ऐसे इस्पात उद्योग के विकास की परिकल्पना की गई है जो इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय इस्पात नीति में इस्पात क्षेत्र के सभी पहलु यथा इस्पात की मांग, इस्पात क्षमता, कच्ची सामग्री की सुरक्षा, अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) तथा ऊर्जा दक्षता शामिल हैं।

राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 में परिकल्पित घरेलू क्रूड इस्पात क्षमता, उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत के मूल्य का समग्र आकलन नीचे दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	मापदंड	अनुमान (2030-31)
1	कुल क्रूड इस्पात क्षमता	300 एमटी
2	कुल क्रूड इस्पात मांग/उत्पादन	255 एमटी
3	प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत किलोग्राम में	158 कि.ग्रा.
स्रोत: एनएसपी 2017 एमटी= मिलियन टन		

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करके एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अपेक्षित अनुमानों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. सरकारी अधिप्राप्ति में स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को वरीयता प्रदान करने के उद्देश्य से स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।
2. स्वदेशी रूप से उत्पादित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।
3. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण तथा आयात को रोकने और जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पादों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना।
4. भारत के इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कतिपय इस्पात उत्पादों पर एंटी डम्पिंग (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे कारोबारी सुधारात्मक उपायों के अंशांकन (कैलिब्रेशन) सहित इस्पात उत्पादों तथा कच्ची सामग्रियों पर आधारभूत सीमा शुल्क में समायोजन।
5. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।
6. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग संघों तथा स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधाकरकों से बातचीत।
7. अवसंरचना, आवासन और विनिर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढाने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य हितधारकों के साथ चर्चा।

****